2575/10
2819/10

रूप क्रमांक ४

(देखिये नियम १२)

मध्यप्रदेश शासन

समिति का पन्जीयन प्रमाणपत्र

क्रमांक IND/6508/2002
22-10-2002

यह प्रमाणित किया जाता है कि पन्जीयत समिति हुजूरबा चेरिटेबल शिक्षण समिति, H-23 गोल्डन आफिसर्स कालोनी, खरगोन स्थित है खरगोन तहसील में खरगोन जिला में अपना नाम परिवर्तित कर लिया है और अब वह "हुजूरबा एजुकेशनल एण्ड सोशल वेलफेयर सोसायटी" नाम से मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (सन् १९७३ का क्रमांक ४४) की धारा १३ की उप-धारा (२) के अधीन पन्जीयित की गई है।

दिनांक 27 माह सितम्बर सन् ~~१९८~~ 2010

रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीज, इन्दौर

समितियों के रजिस्ट्रार
(बी. एस. सोलंकी)
असि. रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थाएँ इन्दौर संभाग
इन्दौर

कार्यालय

असि॰ रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाए

इन्दौर संभाग, इन्दौर

१०७, कंचन बाग; इन्दौर

क्रमांक / संशो०/ 2575 - /0 इन्दौर दिनांक 28/9/10

प्रति,

अध्यक्ष / सचिव,

दुगुरबा एज्यूकेशनल एण्ड सोशल वेलफेयर सोसायटी,

माँ नर्मदा डिग्री कालेज कैम्पस, महेश्वर रोड, फारेस्ट ऑफिस के पीछे

ग्राम धामनोद, जिला- धार

विषय :- समिति के नाम व ज्ञापन / विधान में संशोधन बावत।

संदर्भ :- आपका प्रस्ताव कार्यालय में प्राप्त दिनांक 21-5-2010.

कृपया उपरोक्त संदर्भित विषयक लेख है कि पूर्व पंजीकृत समिति "दुगुरबा चैरिटेबल शिक्षण समिति", म-23 ओल्ड ऑफिसर्स कॉलोनी, खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक IND/6508/2002 दिनांक 22-10-2002 है। का नाम वर्तमान में "दुगुरबा एज्यूकेशनल एण्ड सोशल वेलफेयर सोसायटी, ग्राम धामनोद, जिला-धार से पंजीकृत किया जाता है / ज्ञापन-विधान में किया गया संशोधन पत्र जारी होने के दिनांक से अनुमोदित किया जाता है। अतः संशोधित नियमों का दृढ़ता से पालन कीजिए।

(बी. एस सोलंकी)

असि. रजिस्ट्रार

फर्म्स एवं संस्थाएँ इन्दौर संभाग,

इन्दौर

प्रारुप — सात

वर्ष - 2019-20

(नियम 11 देखिये)

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (कं. 44 सन 1973) की धारा 27 के अधीन शासी निकाय की सूची की जानकारी प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र

1. सोसायटी का नाम एवं पता – हुजुरबा एजुकेशनल एण्ड सोशल वेलफेयर सोसायटी, धामनोद MNDC कैंपस, महेश्वर रोड, धामनोद जिला धार (म.प्र)

2. पंजीयन कमांक तथा तारीख – IND/6508/2002/DATE-27/09/2002

3. साधारण निकाय के वार्षिक सम्मिलन की तारीख – 12/06/2020

4. विद्यमान पदाधिकारियो की सूचि – कार्यकाल तारीख 12/10/2017 से 12/10/2020 तक

अ. कं	नाम पिता व पति	पता	धारित पद	मुख्य व्यवसाय	हस्ताक्षर
(1)	श्री मनोज नाहर पिता श्री श्यामसिंह नाहर	**60, आशीर्वाद नगर धामनोद जिला धार** (म.प्र) 04-09-2019 से 12-10-2020 तक	अध्यक्ष	कृषि	[signature]
(2)	श्री नवीन नाहर पिता श्री श्यामसिंह नाहर	ग्राम पोस्ट पीपलरावॉ जिला देवास (म.प्र) 04-09-2019 से 12-10-2020 तक	उपाध्यक्ष	व्याख्याता	[signature]
(3)	श्रीमती रीना नाहर पति श्री मनोज नाहर	**60, आशीर्वाद नगर धामनोद जिला धार** (म.प्र) 04-09-2019 से 12-10-2020 तक	सचिव	कृषि	[signature]
(4)	श्री इन्द्रसिंह गोठी पिता श्री सवाईसिंह गोठी	ग्राम पोस्ट घुंसी जिला शाजापुर (म.प्र) 12-10-2017 से 12-10-2020 तक	कोषाध्यक्ष	व्यवसाय	[signature]
(5)	श्री जगदीशसिंह पिता श्री शंकरलाल पाटीदार	H-23 ओल्ड आफीसर्स कॉलोनी जिला खरगोन (म.प्र) 04-09-2019 से 12-10-2020 तक	संयुक्त सचिव	व्यवसाय	[signature]
(6)	श्री श्यामसिंह नाहर पिता श्री शिवनारायण नाहर	ग्राम पोस्ट पीपलरावॉ जिला देवास (म.प्र) 12-10-2017 से 12-10-2020 तक	सदस्य	व्यतसाय	[signature]
(7)	श्री राहुल गोठी पिता श्री महेश गोठी	घुंसी गॉव तहसील काली सिंध जिला शाजापुर (म.प्र) 11-03-2019 से 12-10-2020 तक	सदस्य	समाज सेवा	[signature]

11. म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 कि धारा 27 के अधिन सुची वार्षिक फीस रुपयै 2000/- चालान क्र SBIN00061591M75 27072020 19132 दिनांक 27-7-2020

अध्यक्ष / सचिव की घोषणा

मै मनोज नाहर पुत्र/पुत्री/पत्नि/पिता श्री श्यामसिंह नाहर आयु लगभग 47 वर्ष एक प्राधिकृत अधिकारी के रूप मे एतद् द्वारा घोषणा करता हु कि उपयुक्त जानकारी सोसायटी के अभिलेख पर आधारित होने से तथा हमारी श्रेष्ठतम जानकारी के अनुसार सत्य है। सोसायटी के अभिलेख मुझे अधोहस्ताक्षरकर्ता प्राधिकत अधिकारी के आधिपस्त मे है मे यह जानता हुँ की यदि मेरे द्वारा कोई असत्य जानकारी दी जाती है तो मै उक्त अधिनियम की धारा (2) के आधिन दंण्डनीय अपराध है।

यह जानकारी सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के तहत प्रदाय की गई है।

[signature]

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थायें
इन्दौर सम्भाग, इन्दौर

[signature]

अध्यक्ष
मनोज नाहर
Chairman,
Huzurba Educational & Social Welfare Society,
DHAMNOD (Dhar) M.P.

पंजीयन क्रमांक । 2159/02 11-11-02

(देखिये नियम 3)

समितियों के पंजीयन हेतु ज्ञापन-पत्र

Education Society Reg. No Khargone (M.P.)

1. समिति का नाम : डॉ. कृषि एवं वेटरिनरी शिक्षण समिति
2. समिति का कार्यालय खरगोन H-23 ओल्ड आफीसर्स कॉलोनी खरगोन तहसील खरगोन जिला खरगोन (म०प्र०) में स्थित होगा।
3. समिति के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे :-
   1. समाज हित में शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना।
   2. विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्रदान करना।
   3. ... शिक्षा को बढ़ावा देना।
   4. ... छात्रों के लिए निःशुल्क शिक्षण का व्यवस्थापन करना।
   5. प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना।

सहायक पंजीयक फर्म्स एवम् संस्थायें ... इन्दौर

4. समिति के प्रबन्ध विनियमों द्वारा समिति के कार्यों का प्रबन्ध शासक परिषद्, संचालकों, सभा या शासी-निकाय को सौंपा गया है। जिनके नाम, पते तथा धन्धों का उल्लेख निम्नांकित है :-

क्रं.	नाम पिता/पति का नाम	पद	पूर्ण पता	धन्धा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1)	श्री नवीन S/o श्याम सिंह नाहर	अध्यक्ष	ग्राम/पो. पीपलरावाँ जिला देवास (म.प्र.)	जैविक कृषि सलाहकार
(2)	श्री भवानीराम S/o श्री काशीराम पाटीदार	उपाध्यक्ष	गोयल कॉलोनी, खड़ावदा रोड गरोठ जिला मंदसौर (म.प्र.)	व्याख्याता
(3)	श्री जगदीश S/o शंकरलाल जी पाटीदार	सचिव	H-23 ओल्ड आफीसर्स कॉलोनी, खरगोन	कृषि वि. अधिकारी
(4)	श्री इन्द्रसिंह S/o श्री सवाई सिंह गोठी	कोषाध्यक्ष	ग्राम/पो. घुन्सी जिला शाजापुर	भू.पू. विधायक
(5)	ओम प्रकाश S/o श्री छगनलाल मण्डलोई	संयुक्त सचिव	ए.बी. रोड, शाजापुर (म.प्र.)	व्यवसायी
(6)	श्री श्याम सिंह शिवनारायण नाहर	सदस्य	ग्राम/पो. पीपलरावां (देवास) म.प्र.	व्यवसायी
(7)	डॉ. बैजनाथ नारायण पाटीदार	सदस्य	मण्डलेश्वर रोड धामनोद धार (म.प्र.)	चिकित्सक

5. समिति के इस ज्ञापन-पत्र के साथ समिति के विनियमों की एक प्रमाणित प्रति जैसा कि म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (1973 का 44) की धारा 5 की उप-धारा (1) के अधीन अपेक्षित है, संलग्न है।

हम, अनेक व्यक्ति, जिनके नाम और पते नीचे लिखे है, समिति का निर्माण उपरोक्त ज्ञापन पत्र के अनुसार करने के इच्छुक है तथा ज्ञापन पत्र पर निम्नांकित साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये है।

क्रं.	निर्माणकर्ताओं के नाम, पूर्ण पते पिता/पति का नाम सहित	हस्ताक्षर
(1)	(2)	(3)
(1)	नवीन नाहर S/o श्री श्याम सिंह नाहर, पीपलरावाँ (देवास) म.प्र.	[signature]
(2)	भवानीराम S/o काशीराम पाटीदार गरोठ, खड़ावदा रोड जिला मन्दसौर (म.प्र.)	भवानीराम
(3)	जगदीश S/o शंकरलाल पाटीदार H-23 ओल्ड ऑफीसर्स कालोनी खरगोन (म.प्र.)	[signature]
(4)	इन्द्रसिंह S/o सवाई सिंह गोठी, ग्राम/पो. घुन्सी, जिला शाजापुर (म.प्र.)	[signature]
(5)	ओमप्रकाश छगनलाल मण्डलोई, ए.बी. रोड, शाजापुर (म.प्र.)	[signature]
(6)	श्यामसिंह शिवनारायण जी नाहर, ग्राम/पो. पीपलरावां देवास (म.प्र.)	श्यामसिंह नाहर
(7)	डॉ. बैजनाथ नारायण पाटीदार मण्डलेश्वर रोड धामनोद (धार) म.प्र.	[signature]

TC

*जो अनावश्यक हो उसे काटिये।

R.H. 6508
22.10.02

सहायक पंजीयक,
फर्म्स एवं संस्थाऐं इन्दौर संभाग, इन्दौर

साक्षी
हस्ताक्षर .... Asstt. Agronomist
नाम .... Sugarcane Research Station
पूर्ण पता .... Sehore (M. P.)
(Dr. K.S. Mandloi, R.A.K. Agril. College Sehore)

3069/10
28/10/10

संशोधित ज्ञापन पत्र

1 संस्था का नाम – हुजूरबा एजुकेशनल एण्ड सोशल वेलफेयर सोसायटी

2 संस्था का कार्यालय – माँ नर्मदा डिग्री कॉलेज कैम्पस, महेश्वर रोड़, फॉरेस्ट आफिस के पीछे, ग्राम धामनोद, तहसील धरमपुरी, जिला धार, म0 प्र0

3 संस्था के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे :–

1 समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना।

2 विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्रदान करना।

3 नारी–शिक्षा को बढ़ावा देना।

4 निर्धन छात्रों को निःशुल्क शिक्षा का व्यवस्थापन करना।

5 प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना।

6 प्रदेश के विभीन्न विश्वविद्यालयों/मण्डलों तथा शासन द्वारा ली जाने वाली विभीन्न परीक्षाओं हेतु छात्रों को तैयार करना तथा सुविधाएँ उपलब्ध कराना।

7 संगीत विद्या के प्रचार एवं प्रसार हेतु संगीत विद्यालय की स्थापना करना एवं उसका संचालन करना।

8 गरीब, बेसहारा, विधवा, परित्यकता, अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी व अन्य महिलाओं को स्वावलंबी बनाने हेतु सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, टायपिंग, पेंटिग, ब्यूटी पार्लर, हस्तशिल्प एवं स्वरोजगार प्राप्ति हेतु प्रशिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाना, इस उद्देश्य हेतु प्रशिक्षण देना।

9 बाल, महिला, पुरूष, श्रमिकों के उत्थान हेतु सार्वजनिक, स्वास्थय एवं प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम बनाना।

10 ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे पुरूष, महिलाएँ जिसमें समाज के कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने हेतु विभीन्न रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण/कार्यक्रमों का ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में संचालन करना।

11 मूक, बधिर, अंधो एवं वृद्धों के लिये कल्याणकारी कार्यक्रम चलाना तथा उनके रहने के लिये आश्रम संचालित करना।

12 पुस्तकालयों एवं वाचनालयों की स्थापना एवं उसका संचालन करना।

13 बालक, बालिका, छात्र–छात्राओं एवं युवक युवतियों के विकास एवं स्वास्थय नशाबंदी की उचित व्यवस्था करना, जैसे ऑगनबाड़ी, बालग्राम झूलाग्राम, बालझूला, बाल विकास केन्द्र, हॉबी सेन्टर, छात्रावास, क्रिड़ा स्थल, अनाथ एवं निराश्रितों के लिये अनाथालयों की स्थापना तथा उनके लिये स्नेह कुटीर केन्द्र, बालश्रम, बाल संप्रेषण गृह खोलना एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बालक एवं बालिकाओं के लिये आश्रम एवं छात्रावास विद्यालय एवं कोचिंग तथा प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन करना। बच्चों के लिये पोषण आहार की व्यवस्था करना।

14 केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा समय समय पर विभीन्न कल्याणकारी योजनाओं को शासन की सहायता द्वारा संचालित कर लोगों को उससे उचित लाभ पहुँचाना।

15 भिक्षावृत्ति एवं वेश्यावृत्ति निवारण हेतु प्रयास करना एवं एड्स जैसे घातक रोग की रोकथाम हेतु प्रचार प्रसार करना। विकलांगों के कल्याण हेत शासन द्वारा संचालित योजना का संचालन करना। भूमि सुधार एवं उपजाऊ क्षमता बढ़ाने हेतु कृषकों को तकनीकी जानकारी/सलाह प्रदान करना एवं जैविक कृषि/उन्नत कृषि, औषधि कृषि/फल सब्जी आदि कृषि हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना तथा मृदा परीक्षण हेतु मृदा प्रयोगशाला संचालित करना एवं शासन व अन्य समूहों से सहयोग लेना एवं देना। इसके अतिरिक्त जल प्रदूषण

Chairman
Huzurba Charitable Education Society
DHAMNOD

सचिव
हुजूरबा चेरिटेबल शिक्षण समिति
धामनोद (म.प्र.)

कोषाध्यक्ष
हुजूरबा चेरिटेबल शिक्षण समिति
धामनोद (म.प्र.)

एवं भूमि जल संजय हेतु आम जनता को प्रोत्साहित कर जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन एवं संचालन करना।

16 ग्राम स्वराज एवं पंचायतीराज की भावना के अनुकूल ग्राम उत्थान के लिये कार्य करना। शहरी एवं ग्रामीण विकास हेतु शिक्षण प्रशिक्षण, हस्तशिल्प प्रशिक्षण लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों का संचालन करना एवं महिला जागृति शिविरों का आयोजन करना, स्वास्थय केन्द्र खोलना, परिवार नियोजन व परामर्श, केन्द्र, महिला बाल स्वास्थय केन्द्र, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण केन्द्र एवं योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्रों का संचालन करना।

17 युवाओं में बढ़ती प्रतिभाओं को आगे लाने के लिये क्रिकेट, हॉकी, टेबल टेनिस, कैरम बोर्ड, शतरंग तथा विभीन्न एथलेटिक्स एवं सभी खेलों का शिक्षण एवं प्रशिक्षण देना तथा विभीन्न खेलों का आयोजन करना, शिविरों का प्रतियोगिताओं का एवं प्रतिभावान खिलाड़ियों को पुरुस्कृत करना एवं उनका सम्मान करना।

18 केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर विभीन्न कल्याणकारी योजना को शासन की सहायता द्वारा संचालित कर लोगों को उसका उचित लाभ पहुँचाना तथा शासन द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी देने के लिये कैम्प लगाना, कानूनी जानकारी देने के लिये विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन करना, मतदाता जागरूक शिविर का आयोजन करना, उपभोक्ता जागरूकता अभियान एवं पर्यावरण जागरूकता अभियान के अंतर्गत पर्यावरण एवं प्रदूषण के लिये कार्य करना, बढ़ते हुए वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु प्रचार प्रसार करना व कार्यशाला का आयोजन करना एवं इसकी रोकथाम हेतु विशेष प्रशिक्षण देना।

19 विज्ञान एवं टेक्नालॉजी, टेक्निकल, कम्प्यूटर सेन्टर से संबंधित प्रशिक्षण शिक्षण का संचालन करना।

4. समिति के प्रबंधक विनियमों व्दारा समिति के कार्यो का प्रबंध शासक परिषद, संचालकों, सभा या शासी–निकायों को सौंपा गया है जिनके नाम, पते तथा धंधों का उल्लेख निम्नांकित है।

क.	नाम, पिता / पति का नाम	पद	पूर्ण पता	व्यवसाय
1	श्री नवीन नाहर पिता श्री श्यामसिंह नाहर	अध्यक्ष	ग्राम पोस्ट पीपलरावॉं जिला देवास, म0 प्र0	जैविक कृषि सलाहकार
2.	श्री भवानीराम पाटीदार पिता श्री काशीराम	उपाध्यक्ष	गोयल कॉलोनी, खड़ावदा रोड, गरोठ जिला मंदसौर, म0प्र0	व्याख्याता
3.	श्री जगदीश पाटीदार पिता श्री शंकरलाल	सचिव	एच–23 ओल्ड आफिसर्स कॉलोनी, खरगोन	कृषि विकास अधिकारी
4.	श्री इन्द्रसिंह गोठी पिता श्री सवाईसिंह	कोषाध्यक्ष	ग्राम / पोस्ट घुन्सी जिला शाजापुर,म0प्र0	भूतपूर्व विधायक
5.	श्री ओमप्रकाश मण्डलोई पिता श्री छगनलाल मण्डलोई	संयुक्त सचिव	ए. बी. रोड, शाजापुर, म0 प्र0	व्यवसायी
6.	श्री श्यामसिंह नाहर पिता श्री शिवनारायण नाहर	सदस्य	ग्राम पोस्ट पीपलरावॉं जिला देवास, म0 प्र0	व्यवसायी
7.	डॉ. बैजनाथ पाटीदार पिंता श्री नारायण पाटीदार	सदस्य	मण्डलेश्वर रोड, धामनोद, जिला धार	चिकित्सक

5 समिति इस ज्ञापन–पत्र के साथ समिति के विनियमों की एक प्रमाणित प्रति जैसा म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (1973 क 44) की धारा 55 की उप–धारा के अधीन अपेक्षित है, संलग्न है । हम, अनेक व्यक्ति जिनके नाम और पते नीचे लिखे है, समिति का निर्माण उपरोक्त ज्ञापन–पत्र के अनुसार करने के इच्छुक है तथा ज्ञापन पत्र पर निम्नांकित साक्षीयों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये गये है।

क.	नाम, पिता / पति का नाम	पूर्ण पता	व्यवसाय	हस्ताक्षर
1	श्री नवीन नाहर पिता श्री श्यामसिंह नाहर	ग्राम पोस्ट पीपलरावाँ जिला देवास, म0 प्र0	जैविक कृषि सलाहकार	- Sd -
2.	श्री भवानीराम पाटीदार पिता श्री काशीराम	गोयल कॉलोनी, खड़ावदा रोड, गरोठ जिला मंदसौर, म0प्र0	व्याख्याता	- Sd -
3.	श्री जगदीश पाटीदार पिता श्री शंकरलाल	एच–23 ओल्ड आफिसर्स कॉलोनी, खरगोन	कृषि विकास अधिकारी	- Sd -
4.	श्री इन्द्रसिंह गोठी पिता श्री सवाईसिंह	ग्राम / पोस्ट घुन्सी जिला शाजापुर,म0प्र0	भूतपूर्व विधायक	- Sd -
5	श्री ओमप्रकाश मण्डलोई पिता श्री छगनलाल मण्डलोई	ए. बी. रोड, शाजापुर, म0 प्र0	व्यवसायी	- Sd -
6	श्री श्यामसिंह नाहर पिता श्री शिवनारायण नाहर	ग्राम पोस्ट पीपलरावाँ जिला देवास, म0 प्र0	व्यवसायी	- Sd -
7	डॉ. बैजनाथ पाटीदार पिता श्री नारायण पाटीदार	मण्डलेश्वर रोड, धामनोद, जिला धार	चिकित्सक	- Sd -

साक्षी :–
हस्ताक्षर - Sd -
नाम डॉ. के. एस. मण्डलोई
आर. ए. के. एग्रीकल्चर कॉलेज, सीहोर

सत्यप्रतिलिपि

(बी. एस. सोलंकी)
असि रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थाएँ इन्दौर सम्भाग
इन्दौर

संशोधित नियमावली

1 संस्था का नाम – हूजूरबा एजुकेशनल एण्ड सोशल वेलफेयर सोसायटी

2 संस्था का कार्यालय – माँ नर्मदा डिग्री कॉलेज कैम्पस, महेश्वर रोड़, फॉरेस्ट आफिस के पीछे, ग्राम धामनोद, तहसील धरमपुरी, जिला धार, म0 प्र0

3 संस्था का कार्यक्षेत्र – संपूर्ण मध्यप्रदेश होगा।

4 संस्था के उद्‌देश्य निम्नलिखित होगे :–

1 समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना।
2 विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्रदान करना।
3 नारी–शिक्षा को बढ़ावा देना।
4 निर्धन छात्रों को निःशुल्क शिक्षा का व्यवस्थापन करना।
5 प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना।

6 प्रदेश के विभीन्न विश्वविद्यालयों/मण्डलों तथा शासन द्वारा ली जाने वाली विभीन्न परीक्षाओं हेतु छात्रों को तैयार करना तथा सुविधाएँ उपलब्ध कराना।
7 संगीत विद्या के प्रचार एवं प्रसार हेतु संगीत विद्यालय की स्थापना करना एवं उसका संचालन करना।
8 गरीब, बेसहारा, विधवा, परित्यकता, अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी व अन्य महिलाओं को स्वावलंबी बनाने हेतु सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, टायपिंग, पेंटिग, ब्यूटी पार्लर, हस्तशिल्प एवं स्वरोजगार प्राप्ति हेतु प्रशिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाना, इस उद्‌देश्य हेतु प्रशिक्षण देना।
9 बाल, महिला, पुरूष, श्रमिकों के उत्थान हेतु सार्वजनिक, स्वास्थय एवं प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम बनाना।
10 ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे पुरूष, महिलाएँ जिसमें समाज के कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने हेतु विभीन्न रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण/कार्यक्रमों का ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में संचालन करना।
11 मूक, बधिर, अंधो एवं वृद्धों के लिये कल्याणकारी कार्यक्रम चलाना तथा उनके रहने के लिये आश्रम संचालित करना।
12 पुस्तकालयों एवं वाचनालयों की स्थापना एवं उसका संचालन करना।
13 बालक, बालिका, छात्र–छात्राओं एवं युवक युवतियों के विकास एवं स्वास्थय नशाबंदी की उचित व्यवस्था करना, जैसे ऑगनबाडी, बालग्राम झूलाग्राम, बालझूला, बाल विकास केन्द्र, हॉबी सेन्टर, छात्रावास, क्रिड़ा स्थल, अनाथ एवं निराश्रितों के लिये अनाथालयों की स्थापना तथा उनके लिये स्नेह कुटीर केन्द्र, बालश्रम, बाल संप्रेषण गृह खोलना एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बालक एवं बालिकाओं के लिये आश्रम एवं छात्रावास विद्यालय एवं कोचिंग तथा प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन करना। बच्चों के लिये पोषण आहार की व्यवस्था करना।
14 केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा समय समय पर विभीन्न कल्याणकारी योजनाओं को शासन की सहायता द्वारा संचालित कर लोगों को उससे उचित लाभ पहुँचाना।

अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव

Chairman
Hazurba Charitable Education Society
DHAMNOD (Dhar)

15 भिक्षावृत्ति एवं वेश्यावृत्ति निवारण हेतु प्रयास करना एवं एड्स जैसे घातक रोग की रोकथाम हेतु प्रचार प्रसार करना। विकलांगों के कल्याण हेत शासन द्वारा संचालित योजना का संचालन करना। भूमि सुधार एवं उपजाऊ क्षमता बढ़ाने हेतु कृषकों को तकनीकी जानकारी/सलाह प्रदान करना एवं जैविक कृषि/उन्नत कृषि, औषधि कृषि/फल सब्जी आदि कृषि हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना तथा मृदा परीक्षण हेतु मृदा प्रयोगशाला संचालित करना एवं शासन व अन्य समूहों से सहयोग लेना एवं देना। इसके अतिरिक्त जल प्रदूषण एवं भूमि जल संजय हेतु आम जनता को प्रोत्साहित कर जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन एवं संचालन करना।

16 ग्राम स्वराज एवं पंचायतीराज की भावना के अनुकूल ग्राम उत्थान के लिये कार्य करना। शहरी एवं ग्रामीण विकास हेतु शिक्षण प्रशिक्षण, हस्तशिल्प प्रशिक्षण लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों का संचालन करना एवं महिला जागृति शिविरों का आयोजन करना, स्वास्थ्य केन्द्र खोलना, परिवार नियोजन व परामर्श, केन्द्र, महिला बाल स्वास्थ्य केन्द्र, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण केन्द्र एवं योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्रों का संचालन करना।

17 युवाओं में बढ़ती प्रतिभाओं को आगे लाने के लिये क्रिकेट, हॉकी, टेबल टेनिस, कैरम बोर्ड, शतरंग तथा विभीन्न एथेलेटिक्स एवं सभी खेलों का शिक्षण एवं प्रशिक्षण देना तथा विभीन्न खेलों का आयोजन करना, शिविरों का प्रतियोगिताओं का एवं प्रतिभावान खिलाड़ियों को पुरूस्कृत करना एवं उनका सम्मान करना।

18 केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर विभीन्न कल्याणकारी योजना को शासन की सहायता तथा संचालित कर लोगों को उसका उचित लाभ पहुँचाना तथा शासन द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी देने के लिये कैम्प लगाना, कानूनी जानकारी देने के लिय विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन करना, मतदाता जागरूक शिविर का आयोजन करना, उपभोक्ता जागरूकता अभियान एवं पर्यावरण जागरूकता अभियान के अंतर्गत पर्यावरण एवं प्रदूषण के लिये कार्य करना, बढ़ते हुए वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु प्रचार प्रसार करना व कार्यशाला का आयोजन करना एवं इसकी रोकथाम हेतु विशेष प्रशिक्षण देना।

19 विज्ञान एवं टेक्नालॉजी, टेक्निकल, कम्प्यूटर सेन्टर से संबंधित प्रशिक्षण शिक्षण का संचालन करना।

5 **सदस्यता** – संस्था में निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होगें।

(अ) संरक्षक सदस्य – संस्था को जो व्यक्ति दान के रूप में रूपये 1000/– या अधिक एकमुश्त या एक साल में बारह किश्तों में देगा, वह समिति का संरक्षक सदस्य होगा।

(ब) आजीवन सदस्य – जो व्यक्ति संस्था को दान के रूप में रूपये 500/– या अधिक देकर वह आजीवन सदस्य बन सकेगा। कोई भी आजीवन सदस्य रूपये 500/– या अधिक देकर संरक्षक सदस्य बन सकेगा।

(स) साधारण सदस्य – जो व्यक्ति रूपये 20/– प्रतिमाह रूपये 240/– प्रतिवर्ष संस्था को चंदे के रूप में देगा, वह साधारण सदस्य होगा। साधारण सदस्य केवल उसी अवधि के लिये साधारण होगा, जिसके लिये उसने चंदा दिया है। जो साधारण सदस्य बिना संतोषजनक कारणों के छः माह तक देय चंदा नहीं देगा, उसकी सदस्यता समाप्त हो जावेगी। ऐसे सदस्य द्वारा संस्था के लिये नया आवेदन पत्र देने तथा बकाया चंदा की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है।

अध्यक्ष **उपाध्यक्ष** **सचिव**

Chairman
Huzuiba Charitable Education Society
DHAMNOD (Dhar)

(द) सम्मानीय सदस्य – संस्था की प्रबंधकारिणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिये जो भी वह उचित समझे सम्मानीय सदस्य बना सकती है। ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते है, परंतु उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा।

6 **सदस्यता की प्राप्ति** – प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप में आवेदन करना होगा। ऐसा आवेदन कार्यकारिणी समिति को प्रस्तुत होगा, जिसके आवेदन पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा।

7 **सदस्यों की योग्यता**

1 आयु 18 वर्ष से कम न हो।
2 भारतीय नागरिक हो।
3 समिति के नियमों का पालन करने की प्रतिज्ञा की हो।
4 सद्चरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो।

8 **सदस्यता की समाप्ति** – सस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जावेगी।

1 मृत्यु हो जाने पर।
2 पागल हो जाने पर।
3 संस्था को देय चंदे की रकम नियम 5 में बनाये अनुसार जमा न करने पर।
4 त्याग पत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर।
5 चारित्रिक दोष होने पर
6 कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देना होगी।

9 **संस्था कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जावेगी, जिसमें निम्न ब्यौरे दर्ज किये जावेंगे।**

1 प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा व्यवसाय।
2 वह तारिख जिसको सदस्यों को प्रवेश दिया गया हो व रसीद नम्बर।
3 वह तारिख जिससे सदस्यता समाप्त हुई हो।

10 (अ) **साधारण सभा** –साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाये श्रेणी के सदस्य समावेषित होंगे। साधारण सभा की आवश्यकतानुसार हुआ करेगी। परंतु वर्ष में एकबार अनिवार्य होगी। बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिन पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी। बैठक का कोरम 2/3 सदस्यों का होगा। संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से 3 माह के भीतर बुलाई जावेगी। उसमें संस्था के पदाधिकारियों को विधिवत् निर्वाचन किया जावेगा। यदि संबंधित आमसभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आमसभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में एवं पदाधिकारियों का विधिवत् चुनाव कराया जावेगा।

अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव

Chairman

(ब) **प्रबंधकारिणी सभा** – प्रबंधकारिणी सभा की बैठक प्रत्येक 6-माह होगी तथा बैठक का एजेण्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के सदस्यों को भेजी जाना आवश्यक होगी। बैठक में कोरम 1/2 सदस्यों की होगी। यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घण्टे के लिये स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी, जिसके लिये कोरम की शर्त नहीं होगी।

(स) **विशेष** – यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यों व्दारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाये विषय पर विचार करने के लिये साधारण सभा की बैठक बुलाई जावेगी। विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति बैठक पंजीयक को संकल्प पारित होने से दिनांक से 45 दिन के भीतर भेजा जावेगा । पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति को परामर्श देने का अधिकार होगा।

11 <u>साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य</u> :–

क संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना।

ख संस्था की स्थाई निधि व सम्पत्ति की ठीक व्यवस्था करना।

ग आगामी वर्ष के लिये लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना।

घ अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी व्दारा प्रस्तुत हो।

च. संस्था द्वारा संचालित संस्थाओ के आय–व्यय पत्रको को स्वीकार करना।

छ. बजट का अनुमोदन करना।

12. **कार्यकारिणी का गठन** :– ट्रस्टीज यदि कोई हो समिति के पदेन सदस्य रहेंगे। नियम 5 (अ, ब, स) में दर्शायें गये सदस्यों जिनके नाम पते रजिस्टर में दर्ज हो बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा (मनोनयन होगा)
1 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष, 3 सचिव, 4 कोषाध्यक्ष, 5 संयुक्त सचिव एवं सदस्य – 2
किंतु संस्था अध्यक्ष आजीवन सदस्य होगा) अध्यक्ष द्वारा प्रतिवर्ष प्रबंधकारिणी में 2 सदस्य का मनोनयन किया जावेगा।

13 **प्रबंध समिति का कार्यकाल** :– प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। समिति का यथेष्ट कारण होने पर उस समय तक जब तक की नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता, करती रहेगी, किन्तु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा।

14 **प्रबंधकारिणी के अधिकार व कर्तव्य** :

अ जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना।

ब पिछले वर्ष का आय–व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति वेदन के साथ प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।

स समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना। संस्था की चल अचल संपत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना।

अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव

Chairman

द कर्मचारियों, शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना एवं हटाना –

इ अन्य आवश्यक कार्य करना, जो साधारण सभा द्वारा समय–समय पर सौंपे जाये।

च संस्था की समस्त चल–अचल संपत्ति कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी ।

छ संस्था व्दारा कोई भी स्थावर संपत्ति, रजिस्टार की लिखित अनुज्ञा के बिना विकय व्दारा या अन्यथा अर्जित या आंतरित नहीं की जायेगी ।

ज विशेष बैठक आमंत्रित कर संस्था के विधान में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार–विमर्श कर साधारण सभा की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेत प्रस्तुत करेगी । साधारण सभा में कुल सदस्यों के 2/3 मत से संशोधित पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा। अध्यक्ष द्वारा लिये गये सभी निर्णय प्रबंधकारिणी के अंतर्गत अंतिम एवं बंधनकारी होगा –

झ संस्था समय समय पर अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बैंक इत्यादि से ऋण ले सकती है, एवं उसके लिये बैंक के नियमानुसार अपनी चल अचल संपत्ति बैंक को बंधक रखने का अधिकार होगा।

ण इनवेस्टमेंट – संस्था के समस्त फण्ड इनकम टैक्स अधिनियम 1961 की धारा 13 (1) (डी) एवं धारा 11(5) के प्रावधानों के अंतर्गत बताये गये नियम अनुसार विनियोजित किये जावेंगे तथा आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार कार्य किया जावेगा।

त अकाउंट्स – संस्था अपने खाते बहियाँ नियमित रूप से संधारित करेगी। संस्था के अकाउंट चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा 31 मार्च को समाप्त होने वाले प्रत्येक वर्ष के लिये अंकेक्षित करवायेगी।

थ संस्था के फण्ड एवं इनकम संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ही भुगतान के रूप में उपयोग किया जावेगा। संस्था की आय एवं फण्ड को संस्था के किसी भी सदस्य को लाभ, ब्याज एवं लाभांश के रूप में वितरित नहीं किया जावेगा।

15 **अध्यक्ष के अधिकार** : अध्यक्ष साधरण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगी तथा मंत्री द्वारा साधारण सभा में प्रंबद्यकारणी कि बैठको का आयोजन करवाएगा। अध्यक्ष का समान मत विचारार्थ विषयों में समान मत होने पर निर्णयात्मक होगा।

16 **उपाध्यक्ष के अधिकार** : अध्यक्ष की अनुपस्थिति उपाध्यक्ष व्दारा साधारण सभा एवं प्रबधकारिणी की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा । अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा ।

17 **सचिव (मंत्री) के अधिकार** :

(1) साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय–समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हो प्रस्तुत करना

(2) समिति का आय–व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना।

(3) समिति के सारे कामजातों को तैयार करवाना, उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना।

(4) सचिव को किसी कार्य के लिये एक समय में रुपये5000/–खर्च करने का अधिकार होगा।

17(ब) संयुक्त सचिव के अधिकार – सचिव की अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव, सचिव के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा।

अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव

Chairman
Hazreba Charitable Education Society
DEAMNOD (Bihar)

18 **कोषाध्यक्ष के अधिकार**

समिति की धनराशि का पुर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी व्दारा स्वीकृत व्यय करना।

19 **बैंक खाता :**

संस्था की समस्त निधि किसी बैंक में रहेगी। धन का आहरण अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षरों से होगा। दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रूपये 3000/-(तीन हजार रूपये) रहेंगे तथा समय समय पर धन जमा करने व निकालने की प्रक्रिया जारी रहेगी।

20 **पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी**

अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत संस्था की वार्षिक आमसभा होने के दिनांक से 45 दिन के भीतर निर्धारित प्रारुप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाईल की जावेगी तथा धारा 28 के अंतर्गत संस्था की परीक्षित लेखा भेजेगी। आवेदन विहित शुल्क के साथ किया जावेगा।

21 **संशोधन**

संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा । यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने के अधिकार पंजीयक फर्मस एवं संस्थाओं को होगा जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा। आवेदन विहित शुल्क के साथ किया जावेगा।

22 **विघटन**

संस्था का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों के 3/5 मत से पारित किया जावेगा। विघटन के पश्चात संस्था की चल तथा अचल संपत्ति किसी समान उव्देश्यों वाली संस्था को सौंपा दी जावेगी। उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही मान्य होगा।

23 **सम्पत्ति**

संस्था की समस्त चल तथा अचल संपत्ति संस्था के नाम से रहेगी। संस्था की चल अचल संपत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएँ की लिखित अनुज्ञा के बिना विकय द्वारा, दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या आंतरित नहीं की जा सकेगी। आवेदन विहित शुल्क सहित प्रस्तुत किया जावेगा।

24 **पंजीयक व्दारा बैठक बुलाना** :

संस्था की पंजीयत नियमावली के अनुसार पदाधिकारियो के व्दारा वार्षिक बैठक ना बुलाये जाने या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाओं को बैठक बुलाने का अधिकार होगा, साथ ही यह बैठक में विचारीर्थ विषय निश्चित कर सकेगा ।

25 **विवाद** :

यदि संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण-सभा के अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा। यदि इस निश्चित या निर्णय से पक्षों को संतोष न हो तो रजिस्टार की ओर से विवाद के निर्णय के लिये भेज सकेंगे। रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम तथा सर्वमान्य होगा। संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबंध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा।

अध्यक्ष | उपाध्यक्ष | सचिव

(बी. एस. सोलंकी)
असि. रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थाएँ इन्दौर संभाग
इन्दौर

Chairman